

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-23/2015-169 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 07-01-2016

प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

Fax/Mail

जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/नालंदा/ भोजपुर /बक्सर/रोहतास/कैमूर/गया जहानाबाद
/अरवल/नवादा/औरंगाबाद/ सारण/सिवान / गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/प०
चम्पारण/सीतामढ़ी/शिवहर/वैशाली/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगुसराय/मुंगेर/लखीसराय
/शेखपुरा/जमुई/भागलपुर/बाँका/सहरसा/मधेपुरा/पूर्णियाँ/किशनगंज/अररिया/कटिहार/
खगड़िया/सुपौल।

विषय:

धान का सामुदायिक नर्सरी तैयार करने तथा नर्सरी में तैयार बीचड़ों के शतप्रतिशत रोपनी में प्रयोग के लिए वर्ष 2015-16 में कुल 439.66 लाख रु० (चार करोड़ उनचालीस लाख छियासठ हजार रुपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए 4.40 लाख रु० (चार लाख चालीस हजार रुपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹4,39,658 (चार लाख उनचालीस हजार छः सौ अन्दावन रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5832 दिनांक-30.12.2015 द्वारा धान का सामुदायिक नर्सरी तैयार करने तथा नर्सरी में तैयार बीचड़ों के शतप्रतिशत रोपनी में प्रयोग के लिए वर्ष 2015-16 में कुल 439.66 लाख रु० (चार करोड़ उनचालीस लाख छियासठ हजार रुपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए 4.40 लाख रु० (चार लाख चालीस हजार रुपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृति राशि के अन्तर्गत व्यय हेतु कुल ₹4,39,658 (चार लाख उनचालीस हजार छः सौ अन्दावन रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

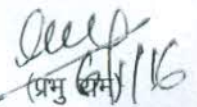
2. उपरोक्त कुल ₹4,39,658 (चार लाख उनचालीस हजार छः सौ अन्दावन रुपये) मात्र की निकासी बजट-शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म-उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मॉग संख्या-1-उपशीर्ष-0134-इन्टेनसिफायड फ़िल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट, नई योजना, विपत्र कोड-P2401007960134, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-50 22, के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,


(प्रभु राम)
निदेशक प्रशासन -सह-अपर सचिव
कृषि विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक

169 (ओक्टो)

/कृ०, पटना, दिनांक 07-01-2016

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

ज्ञापांक

169 (ओक्टो)

निदेशक प्रशासन -सह-अपर सचिव
कृषि विभाग बिहार पटना।
/कृ०, पटना, दिनांक 07-01-2016

प्रतिलिपि : वित्त विभाग बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम० बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/अपर कृषि निदेशक, (प्रसार) बिहार पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार, राज्य बीज निगम, पटना/कुलपति, रा०कृ०वि०वि०, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बि०कृ०वि०वि०, सबौर, भागलपुर/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, (शष्य), योजना बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त निदेशक (शष्य), पाट पूर्णियाँ/सभी उप कृषि निदेशक, (शष्य) प्रक्षेत्र/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग/उप निदेशक, (शष्य), बीज बिहार पटना/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई. टी. मैनेजर बिहार, पटना को विवरणी सहित विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन -सह-अपर सचिव
कृषि विभाग बिहार पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5832 दिनांक-30.12.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में धान का सामुदायिक नर्सरी तैयार करने तथा नर्सरी में तैयार बीघड़ों के शतप्रतिशत रोपनी में प्रयोग के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए स्वीकृत राशि की आवंटन विवरणी।
विपत्र कोड-P2401007960134 (राशि रुपये में)

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।	19,380	19,380
2	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा।	33,075	33,075
3	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर।	3,375	3,375
4	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर।	12,120	12,120
5	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)।	-	-
6	जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर (भमृआ)।	-	-
7	जिला कृषि पदाधिकारी, गया।	42,150	42,150
8	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद।	8,325	8,325
9	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल।	-	-
10	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।	24,990	24,990
11	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद।	12,615	12,615
12	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण (छपरा)।	26,145	26,145
13	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान।	-	-
14	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज।	-	-
15	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	26,475	26,475
16	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	3,375	3,375
17	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण।	25,485	25,485
18	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	10,635	10,635
19	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर।	6,675	6,675
20	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली।	11,048	11,048
21	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा।	11,955	11,955
22	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी।	-	-
23	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।	3,045	3,045
24	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय।	-	-
25	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर।	14,925	14,925
26	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय।	9,975	9,975
27	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा।	19,875	19,875
28	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई।	16,575	16,575
29	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर।	3,375	3,375
30	जिला कृषि पदाधिकारी, बाँका।	10,800	10,800
31	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा।	5,025	5,025
32	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा।	10,800	10,800
33	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	9,810	9,810
34	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज।	5,850	5,850
35	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया।	7,500	7,500
36	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार।	26,475	26,475
37	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया।	3,540	3,540
38	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल।	14,265	14,265
	कुल	4,39,658	4,39,658

कुल- (चार लाख उनचासी हजार छः सौ अन्ठावन रु०) मात्र।

(प्रमु राम)
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।